न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 36 / 2025(GCMS 2025/228)
(RTI No. 212772037292024)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री खेमचन्द पुत्र ताराचन्द निवासी 6 एन–55, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ

07.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री खेमचन्द स्वयं उपस्थित हुए और निवेदन किया कि उन्होनें तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.03.2025 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री खेमचन्द ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.03.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

मेरे आवेदन पत्र दिनांक 08.03.2025 में चाहे अनुसार राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 15.12.2005 व दिनांक 08.02.2006 के क्रमांक व दिनांक शीघ्र सूचित करें जिनके आधार पर माननीय तहसीलदार ने अपने निर्णय दिनांक 02.06.2006 द्वारा मेरे पिताजी श्री ताराचन्द को सूरतगढ़ रोही में खसरा नं. 272 / 3, 487 / 1 व 487 / 2 में आवंटित कृषि भूमि का आवंटन क्षेत्राधिकारी से बाहर जाकर निरस्त किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:02:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक लोक सूचना अधिकारी [illegible] तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक भू.अ.2025 / 2663 दिनांक 18.[illegible]2025 से अपील का [illegible] निम्नानुसार प्रेषित किया है:

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रार्थी खेमचंद पुत्र ताराचंद निवासी 6 एन–55 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2025 का जवाब इस कार्यालय के पत्रांक भू.अ. / 2025 / 2257 दिनांक 28.05.2025 व प्रार्थना पत्र दिनांक 08.03.2025 का जवाब इस कार्यालय के पत्रांक भू.अ. / 2025 / 2258 दिनांक 28.05.2025 के द्वारा प्रार्थी को भिजवाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.06.2025 के सम्बन्ध में प्रार्थी को कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड का निरीक्षण दिनांक 11.06.2025 को करवा दिया गया है व उपलब्ध रिकॉर्ड करबा सूरतगढ ढाल बाछ सम्वत् 2053 व सम्वत् 2056 ताराचंद पुत्र लिखमीचंद अरोड़ा एवं गिरदावरी सम्वत् 2043–43 एवं सम्वत् 2057–61 उपलब्ध करवा दी गयी है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक 2663 दिनांक 18.06.2025 से अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, जो विचाराधीन अपील से सम्बन्धित नहीं है। इसलिए तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में निर्णय प्राप्ति के 07 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर निर्णय करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति सहायक **लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ** को [illegible] एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.0[illegible]025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:02:22 IST
Reason: SelfAttested